Switzerland : Women and Political Process

लोकतंत्र का घर और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सार्वभौमिक सुदृढ़ दुर्ग स्विटजरलैण्ड यूरोप का वह देश है जिसे महिलाओं को मताधिकार देने में किसी अन्य देश की तुलना में अधिक देरी की है। 1966 ई तक संघीय स्तर में इसे पांचवी बार अस्वीकार किया गया। लेकिन 1971 ई० में पुरुषों के समान महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये।

स्पष्ट है कि 19वीं सदी से ही स्विटजरलैण्ड में स्त्रियों की समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक जीवन में उनके लिए महत्वपूर्ण स्थान के लिए प्रतिबद्ध रहा है लेकिन स्विस पुरुष जगत और महिलाओं के एक भाग में भी यह विचार बना रहा है कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर है, राजनीति महिलाओं के लिए और महिलाएँ राजनीति के लिए नहीं है। अनुदारवादी सोच का विशिष्ट रूप यहाँ देखने को था।

1971 ई० में महिला मताधिकार की स्वीकृत के बाद महिलाएँ राजनीति में तेजी से स्विटजरलैण्ड में आगे बढ़ी है। 20 वर्ष के उपरान्त ही 1991 ई० में संघीय सत्र के दोनों सदनों के चुनाव में कुल उम्मीदवारों में से 35 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएँ थी।

स्पष्ट है कि स्विटजरलैण्ड में इस बात के लिए निरन्तर प्रयत्न होते रहे हैं कि सभी निर्वाचित और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में निरन्तर वृद्धि हो। इस उद्देश्य से 1996 और 2000 ई० में महिलाओं के लिए ~~प्रतिनिधित्व~~ से संवैधानिक कोटा निर्धारित करने के प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये, लेकिन पारित नहीं हुए। 1996 ई० में संघीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए उचित प्रतिनिधित्व का जो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया, उस प्रस्ताव के अधिक महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है:

Ajanta Officer

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय परिषद में प्रत्येक कैण्टन से महिला और पुरुष के प्रतिनिधित्व में एक से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। राज्य परिषद में प्रत्येक कैण्टन के द्वारा जो दो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, उनमें से एक पुरुष और एक महिला होनी चाहिए। संघीय परिषद के 7 सदस्यों में कम से कम तीन महिलाएं होनी चाहिए। जो भी हो स्विटजरलैण्ड में 1971 में मिले महिलाओं के राजनीतिक अधिकार के बाद से महिलाओं को और अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग होती रही है।

जानकारों का मानना है कि स्विटजरलैण्ड का एक बड़ा वर्ग यह सोचने लगा है कि राजनीति और राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं को पुरुषों के लगभग समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए और यह सोचने का आधार बनता है कि स्विटजरलैण्ड शीघ्र ही अपने इस लक्ष्य के समीप पहुँच जाएगा।

जो भी हो सार्थक भूमिका के लिए राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की कितनी भागीदारी होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में महिलाओं की प्रस्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 1990 ई० में सुझाव दिया कि "निर्णय लेनेवाली संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी कम से कम 30 प्रतिशत होनी चाहिए। इसके बाद 1995 ई० में इस बात पर चिन्ता भी व्यक्त की गई है कि "आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अनुमोदित 30 प्रतिशत भागीदारी का लक्ष्य कहीं पर भी प्राप्त नहीं किया जा सका है।